A | B | C | DO NOT SCALE ASK IF IN DOUBT | E | F | G

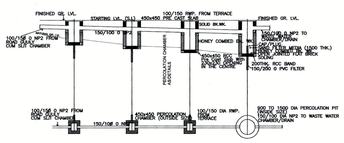

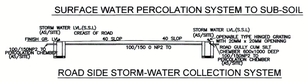

RAIN WATER HARVESTING DETAIL

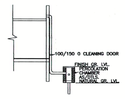

ROOF TOP RAIN WATER COLLECTION SYSTEM

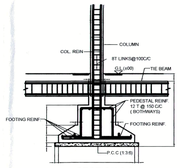

SECTION 2-2

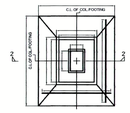

PLAN

TYPICAL FOOTING DETAIL

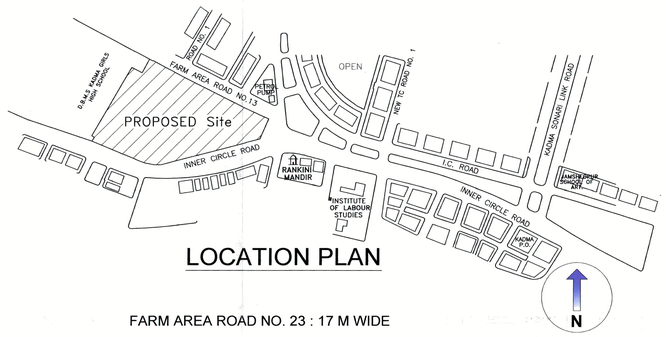

LOCATION PLAN

FARM AREA ROAD NO. 23 : 17 M WIDE

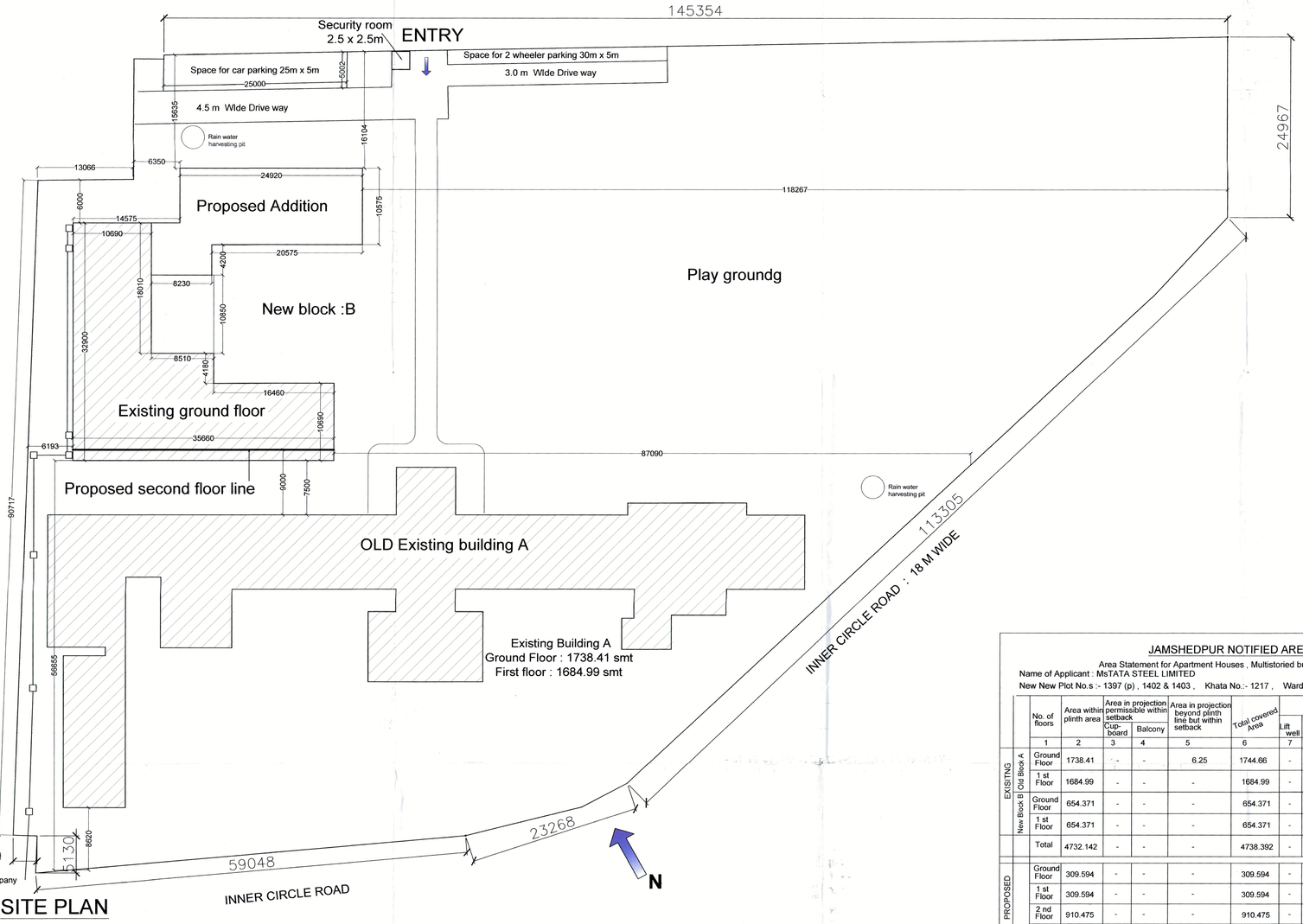

SITE PLAN

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर
प्लाट संख्या New 1397(Part), 1402 & 1403
खाता संख्या 1217
मौजा Ward No-2
स्थल जमशेदपुर
होल्डिंग सं.
श्री / श्री मैसर्स टाटा स्टील लि- जमशेदपुर
को Ground Floor + 1st Floor + 2nd Floor
तल के लिए Height-9.60m
भवन निर्माण हेतु भवन प्लान की स्वीकृति दी जाती है।
विशेष पदाधिकारी
जमशेदपुर अ.क्षे.स.
जमशेदपुर

परमिट संख्या : 28842
दिनांक : 31/03/2017

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर – 831001
(झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 412 एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपविधि-2016 के तहत स्वीकृत)
दिनांक 31/03/17
विशेष: परमिट संख्या 28842
प्लॉट नं:-New-1397(Part), 1402 & 1403, खाता नं:-1217, Ward No-02, थाना-कदमा, जमशेदपुर पर आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में **Ground Floor** में 1(एक) **होल्ड + 1st Floor** में 3 (तीन) तथा तल **2nd Floor** में 3 (तीन) कमरा तल + 3 ऊपर टायलेट बाथरूम, उपर्युक्त-600 वर्ग मी. के संकुल भवन प्लान की स्वीकृति नियम शर्तों पर दी जाती है :-
1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अगर भवन भी गलत पाए जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/भवित्व की संख्या एवं निर्माण क्षेत्र (Building Area) में वृद्धि नहीं होगी।
3. भवन प्लान में सेट बैक एवं इमेज के ही किसी निकासी गली सूची जगह एवं अन्य सूची जगह में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखंड लोक निर्माण विभाग/नगरीय सगठन के विशिष्टताओं के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं सामग्री की सही कायाकल्प आवश्य भारतीय मानकों (Indian Standered) के साथ-साथ भूकम्प रोधी मानक के अनुसार पर किया जाय। निर्माण कार्य व्यवस्था के साथ कायाकल्प एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
5. निर्माणकार्य/अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना लिखकर कर चौथम/मृत्ति तल निर्माण की जाने के बाद तथा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं एक रिपोर्ट के अन्दर इसकी जाँच करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6. निर्माणकर्ता को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत जनरेटर रखना अनिवार्य है। अग्निशमन अपशिष्ट जल की व्यवस्था करनी होगी। आवासीय क्षमता का अंडरग्राउंड टैंक व सेप्टिक टैंक व सोक पीट का निर्माण करना होगा।
7. जल उपभोक्ता के लिये जैविक शौचालय का निर्माण करना होगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए अग्नि शमन विभाग के पत्रांक-554 दिनांक-23.11.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
9. Rain-water Harvesting के साथ Ground-water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना है करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50% फ्लाई ऐश ब्रीकस (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
11. पार्किंग की व्यवस्था का निर्माण अनुमोदित प्लान की अवधारणा, पार्किंग का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अभियंता कार्य से भवन-उपनियम के अनुसार किया जायेगा। विद्युत वाहिका मानक (Lightning Conductor) की व्यवस्था भवन के अनुसार निर्माणकर्ता का भार एवं धारा, प्लॉट एवं बाउंड्री सेफ्टी एवं सुरक्षा सेफ्टी (सुरक्षा कार्य) लगाना होगा। जिस पर पूर्ण परिचालन का भार, निर्माणकर्ता का भार एवं धारा, प्लॉट एवं बाउंड्री सेफ्टी एवं सुरक्षा सेफ्टी (सुरक्षा कार्य) लगाना होगा। जिस पर पूर्ण परिचालन का भार, निर्माणकर्ता का भार एवं धारा, प्लॉट एवं बाउंड्री सेफ्टी एवं सुरक्षा सेफ्टी (सुरक्षा कार्य) लगाना होगा।
12. स्वीकृत भवन प्लान का प्रतिलिपि संलग्न कर स्वीकृत तल एवं स्वीकृत प्लॉटिंग प्लान के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को निबंधित कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate तथा किसी Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन में कदापि किसी तरह की Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
13. आवेदन में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को निबंधित कार्य में कदापि किसी तरह की Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना किसी Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
14. आवेदन के पश्चात भवन मॉडलाइट एवं विजिटर्स मैनुअल 2016 के अनिवार्य अन्य प्रपत्रों अधिकारों का पालन करना होगा। भवन निर्माण में उल्लंघन जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा अलग से निर्णय लिया जाता है तो उसे निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2014 में वर्णित समस्त अधिकारों का पूर्णतः पालन करना होगा।
16. भवन पालन की स्वीकृति से प्रमाणपत्र भूमि पर आवेदक का स्वामित्व को प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा लंबे लगाई गई निषेधित भूमि/वादग्रस्त भूमि/सीलिंगभूमि/वक्फ की भूमि/किसी अन्य की ट्रस्टीज सार्वजनिक भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन भवन रद्द मान जायेगा।
17. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने पर निर्धारित परमिट को रद्द करने का अधिकार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र को होगा।

कनीय अभियंता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति | सहायक अभियन्ता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति | विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

SIGNATURE OF SPECIAL OFFICER, J.N.A.C.

SIGNATURE OF HEAD, LAND & MARKETS, TATA STEEL

TATA STEEL LIMITED

SIGNATURE OF EIC.(DE & TP)

M/s. JUSCO Ltd.
A TATA Enterprise
License No:- J.N.A.C.
Group Agency-001 (T)/2016

JAMSHEDPUR NOTIFIED AREA COMMITTEE, JAMSHEDPUR

FORM-C

Area Statement for Apartment Houses , Multistoried building & Other Non Residential Buildings.etc.(In Sq.Mtr.)

Name of Applicant : MsTATA STEEL LIMITED

New New Plot No.s :- 1397 (p) , 1402 & 1403 , Khata No.:- 1217 , Ward No.:- 2 , Mauza:- Kadma, Thana:- Kadma

		No. of floors	Area within plinth area	Area in projection permissible within setback: Cup-board	Area in projection permissible within setback: Balcony	Area in projection beyond plinth line but within setback	Total covered Area	Deduction: Lift well	Deduction: Void	Deduction: Duct	Deduction: Fire stair	Deduction: Parking if Permissible	Deduction: Other if Permissible	Deduction: Total Deduction	Net Area for F.A.R	Occupancy or Use Proposed	Remarks
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EXISTING	New Block B / Old Block A	Ground Floor	1738.41	-	-	6.25	1744.66	-	-	-	-	-	6.25	6.25	1738.41	Educational	
		1 st Floor	1684.99	-	-	-	1684.99	-	-	-	-	-	-	-	1684.99	Educational	
		Ground Floor	654.371	-	-	-	654.371	-	-	-	-	-	-	-	654.371	Educational	
		1 st Floor	654.371	-	-	-	654.371	-	-	-	-	-	-	-	654.371	Educational	
		Total	4732.142	-	-	-	4738.392	-	-	-	-	-	-	-	4732.142		
PROPOSED		Ground Floor	309.594	-	-	-	309.594	-	-	-	-	-	-	-	309.594	Educational	
		1 st Floor	309.594	-	-	-	309.594	-	-	-	-	-	-	-	309.594	Educational	
		2 nd Floor	910.475	-	-	-	910.475	-	-	-	-	-	-	-	910.475	Educational	
		Total	1529.663	-	-	-	1535.913	-	-	-	-	-	-	-	1529.663		
Grand Total			6261.805	-	-	-	6274.305	-	-	-	-	-	6.25	6.25	6261.805		

PLOT AREA = 14006.234 Sqm.

GROUND COVERAGE = 2708.625 x 100/14006.234 = 19.34 %

F.A.R = 6261.805 / 14006.234 = 0.447

Signature of Applicant | Signature of Builder | Signature of Licensed Technical Person

Proposed Primary Block of JUSCO School Kadma ,Kadma on New Plot no. 1397(p) , 1402 & 1403 of Ward no. 2 , Jamshedpur Notified Area Committee under Khata no. 1217.

This piece of land appears in Appendix 'C' of the Indenture of Renewed Lease dated : 20.08.2005

OWNER:	TATA STEEL LIMITED, JAMSHEDPUR
CONSULTANTS:	JUSCO, PLANNING ENGINEERING & CONSTRUCTION, SAKCHI BOULEVARD ROAD, NORTHERN TOWN, JAMSHEDPUR, JHARKHAND - 831001
DRAWN:	S.Jaiswal
CHECKED:	A.Balmuchu
MANAGER (D):	S.Jaiswal
EIC (D,E&T.P)	J.Singh
GM (EPC)	P.Sinha
SCALE:	DATE: 01/07/2016
SUBJECT:	Site Plan , Location Plan , Rain water harvesting system and Area Calculation
DWG. NO.:	TPE/17806 17818
REVISION:	

1 of 3

MK.	DATE	DESCRIPTION	DRN.	CHKD.	MGR(D)	CHIEF(Arch.)	DRG. NO.	DESCRIPTION
REVISION							REFERENCES	

NOTES

DO NOT SCALE ASK IF IN DOUBT

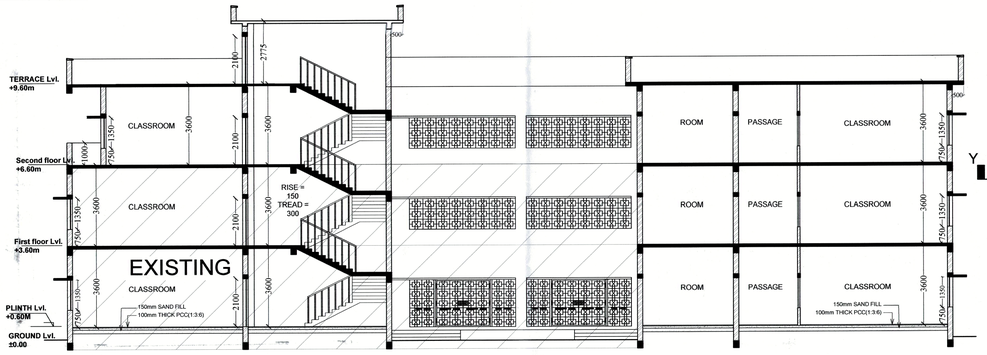

SECTION XX

GENERAL SPECIFICATION

- FOUNDATION: R.C.C COLUMN FOUNDATIONS
- SUPERSTRUCTURE: R.C.C FRAME STRUCTURE.
- ROOF AND INTERMEDIATE SLABS: 115MM TH. R.C.C SLAB.
- FLOORING: KOTA/ TILES ABOVE R.C.C SLAB
- WALLS: EXTERNAL : 230 TH BRICK WALL WITH PLASTER
  INTERNAL : 230/ 115 THK BRICK WALL WITH PLASTER.
- TOILET: IWC & EWC WITH FIRST CLASS FITTINGS.

DOOR WINDOW SCHEDULE

No.	Type	Size (M)	Sill lvl	Lintel lvl	Description
1.	D	1.20 X 2.10	+0.00	+2.10	FLUSH DOOR ,DOUBLE PANEL
2.	D1	0.90 X 2.10	+0.00	+2.10	FLUSH DOOR ,SINGLE PANEL
3.	D2	0.75 X 2.10	+0.00	+2.10	FLUSH DOOR ,SINGLE PANEL
4.	W	2.25 X 1.35	+0.75	+2.10	GLAZED STEEL CASEMENT WINDOW
5.	W1	1.80 X 1.35	+0.90	+2.25	GLAZED STEEL CASEMENT WINDOW
6.	W2	1.35 X 1.35	+0.75	+2.10	ALLUMINIUM SLIDING WINDOW
7.	V	0.60 X 0.60	+1.50	+2.10	GLAZED STEEL TOP HUNG VENTILATOR
8.	V1	1.20 X 0.60	+1.50	+2.10	GLAZED STEEL TOP HUNG VENTILATOR
9.	GD	2.40 X 2.10	+0.00	+2.10	GRILLE 2-PANELL DOOR

(Levels are measured from respective floor lvl.unless otherwise mentioned.)

LEGEND

- WET RISER CUM DOWN COMER
- HYDRANT OUTLET
- HOSE REEL HOSE
- FIRE CALL POINT
- HOOTER
- DCP
- HOSE BOX WITH DELLVERY HOSE & BRANCH

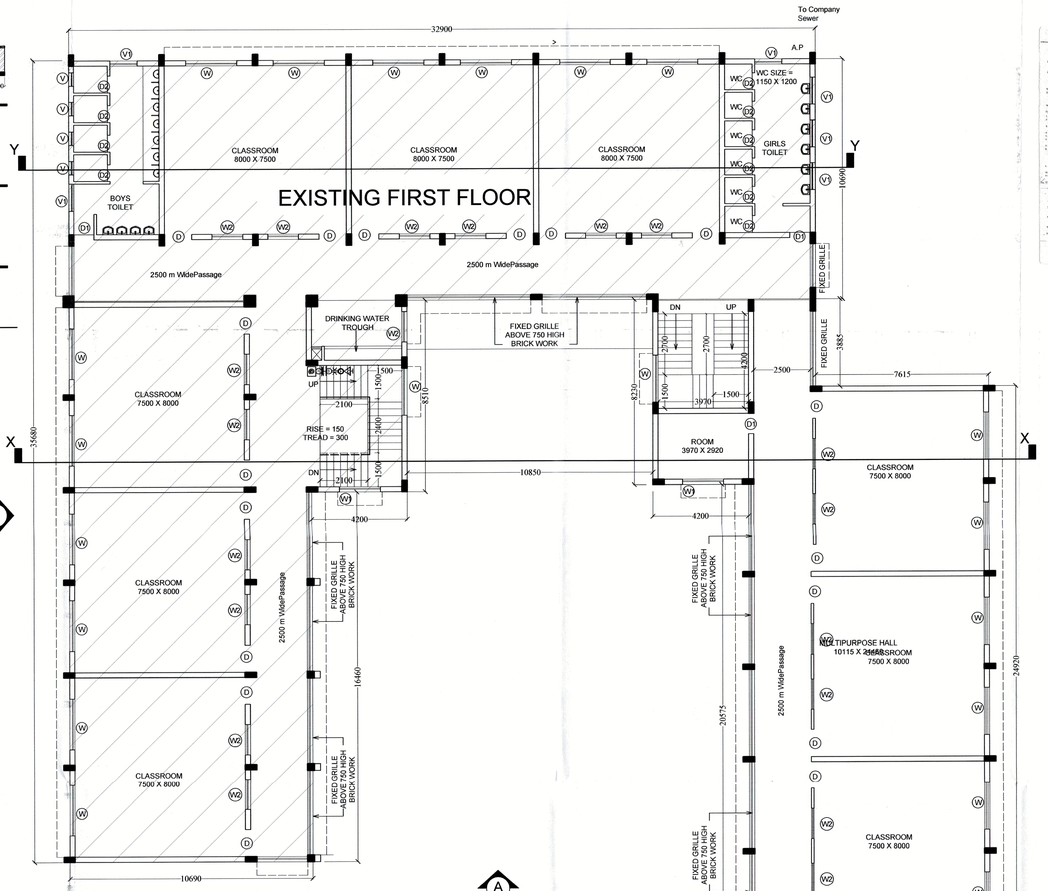

FIRST FLOOR PLAN

SCALE 1:100

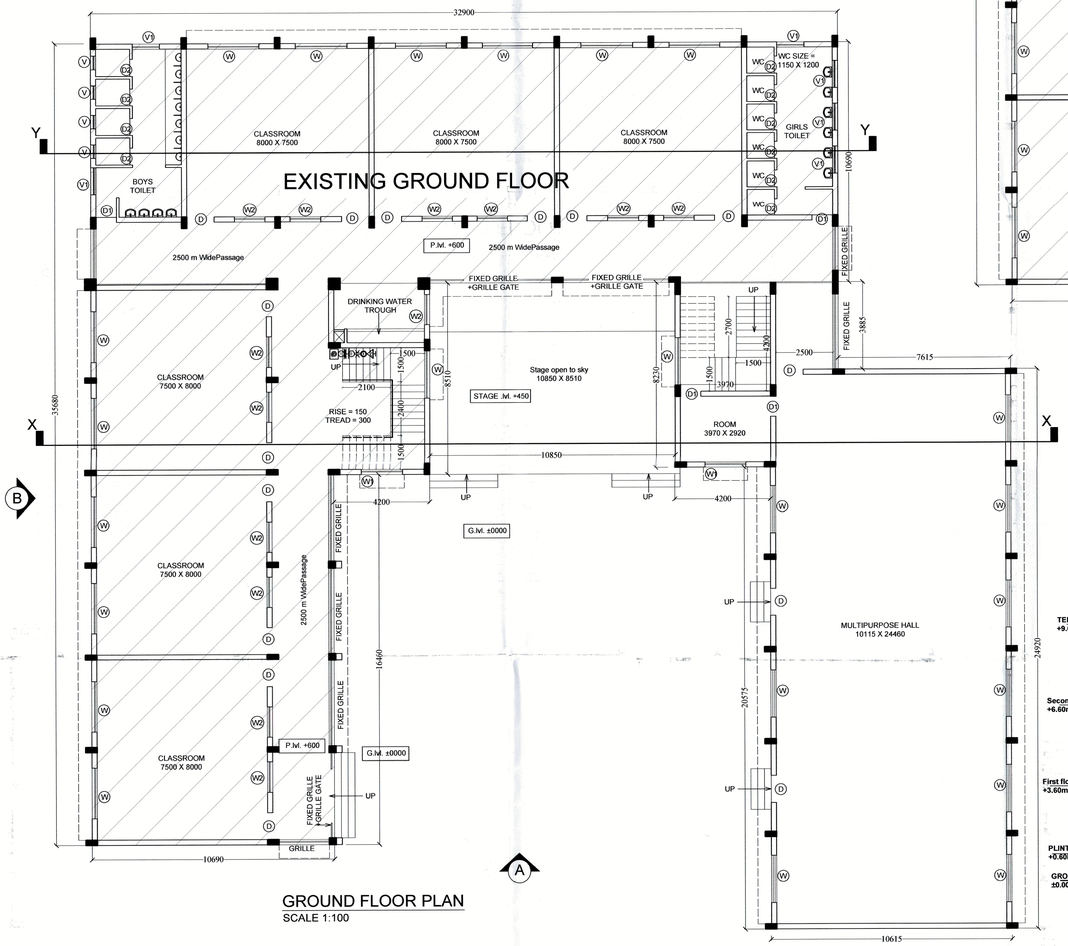

GROUND FLOOR PLAN

SCALE 1:100

N

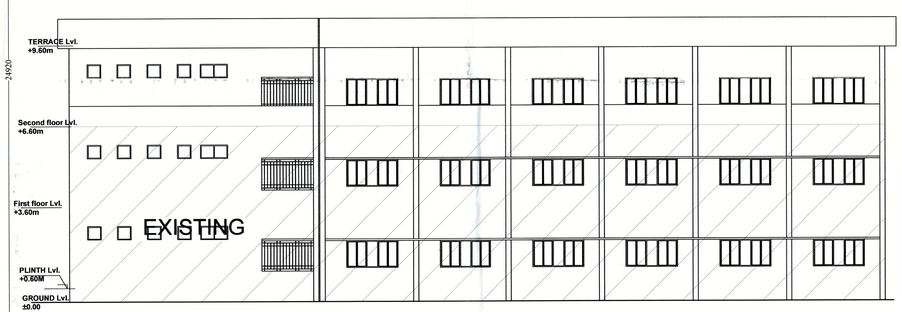

ELEVATION 'B'

- जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति
  जमशेदपुर
  प्लाट संख्या New-1397(Part) 1402 & 1403
  खाता संख्या 1217
  मौजा Ward No-2
  स्थल जमशेदपुर
  होल्डिंग सं.
  श्री/श्री मेसर्स टाटा स्टील लि. जमशेदपुर
  को Ground Floor + 1st Floor + 2nd Floor तल के लिए Height 9.60m
  भवन निर्माण हेतु भवन प्लान की स्वीकृति दी जाती है।
  विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अ.क्षे.स. जमशेदपुर
  परमिट संख्या : 28842
  दिनांक : 31/8/2017

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर – 831001
(झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 427 एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपविधि-2016 के तहत स्वीकृत)
दिनांक 31/8/2017
विशेष परमिट संख्या 28842
प्लॉट नं:-New-1397(Part), 1402 & 1403, खाता नं:-1217, Ward No-02, थाना-कदमा, जमशेदपुर पर आपके द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार मे Ground Floor से 3 (तीन) मंजला तथा + 2nd Floor से 9 (नौ) मंजला भवन + 2 अदद ट्रान्सफॉर्मर कैबिन, ऊंचाई-9.60 मीटर, के स्कूल भवन भवन की स्वीकृति निम्न शर्तो पर दी जाती है :—
1. आवेदक द्वारा दी गयी घोषणानी एवं दस्तावेज मे अंकित भवन गी निर्माण कार्य स्वीकृत होगा। किसी भी परिस्थिति मे भवन की ऊंचाई/मंजिल की संख्या एवं निर्माण क्षेत्र (Builtup Area) मे वृद्धि नहीं होगी।
2. भवन प्लान मे दिए बैक एवं छूटना मे से किसी दिशाकी नही छूटी जगह एवं अन्य खुली जगह मे किसी प्रकार का निर्माण नही करना होगा।
4. निर्माण की गुणवत्ता इमारत तथा निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं सामग्री के सही मापदण्ड भारतीय मानकों (Indian Standards) के मध्य-नजर सुदृढ़ तथा सही मापदण्ड के अनुरूप किया जाय। निर्माण कार्य नगरपालिका के सही मापदण्ड एवं इमारती सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
5. निर्माणकार्य/अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना दिनांक का चौबीस/पूरीत तक निर्माण हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं एक दिनों के अन्दर इमारती जीव कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6. निर्माणकार्य को स्थिर आपूर्ति की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। स्थिर आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था से उत्पन्न ध्वनी तथा धुएँ का प्रदूषण सीमित जमशेदपुर अनुरूप होगा।
7. जल उपयोगता से लिए क्षेत्रीय नहीं करना होगा। जब निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। आवासक क्षमता का सेप्टिक टैंक व सोख पीट का निर्माण करना होगा।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए अग्नि शमन विभाग के पत्रांक-556 दिनांक-23.11.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
9. Rain water Harvesting के साथ Ground water Rechanging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50% फ्लाई ऐश ब्रीक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
11. महाविद्यालय का निर्माण, अनुज्ञप्ति योजना की व्यवस्था, पैरापेट का निर्माण तथा ऐसे उपकरण का कार्य अभियंता द्वारा के स्थान-उपस्थिति के अनुसार किया जायेगा। विद्युत संहित व्यवस्था (Lightning Conduction) की व्यवस्था मानक के अनुसार निश्चित रूप से करनी होगी।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड (सूचना पट्ट) लगाना होगा, जिस पर भूमि स्वामित्व का नाम, निर्माणकर्ता का नाम एवं पता, प्लॉट एवं खाता संख्या, स्वामित्व संबंधित स्थल पंजीयन का विवरण तथा एक संक्षिप्त फोटोग्राफ आदि का विवरण देना होगा।
13. संबंधित भवन भवन को केवल दीन वर्ष तक दोनों तथा उसीके तक उसीके के आवासीय उपयोग तथा स्वतः पंजीकरणी से संबंधित करना होगा। इस अवधि के निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को निर्दिष्ट प्रपत्र में सूचना देनी होगी तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
14. आवेदन के स्वामित्व योजनाई एवं विधिवत अनुज्ञापत्र 2016 में वर्णित अन्य प्रचली अधिकारों का पालन करना होगा। भवन निर्माण के दौरान जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति किया जाता है तो उसे निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. जमशेदपुर अधिसूचित अधिनियम 2011 में वर्णित स्थानिक अधिकारों का पूर्णरूप पालन करना होगा।
16. भवन भवन की स्वीकृति के प्रयोजन भूमि पर आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थानिक नहीं होगा। शान्तीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/वीआरएस स्थान की भूमि/किसी अन्य की न्यायिक सही भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा पाया है तो भवन भवन रद्द माना जायेगा।
17. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने पर विशिष्ट परमिट को रद्द करने का अधिकार जमशेदपुर अक्षेस को होगा।

कनीय अभियन्ता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति — सहायक अभियन्ता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति — विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

SIGNATURE OF SPECIAL OFFICER, J.N.A.C.

SIGNATURE OF HEAD, LAND & MARKETS, TATA STEEL

TATA STEEL LIMITED

SIGNATURE OF EIC.(DE & TP)

M/s. JUSCO Ltd.
A TATA Enterprise
License No:- J.N.A.C.
Group Agency-001 (T)/2016

Proposed Primary Block of JUSCO School Kadma ,Kadma on New Plot no. 1397(p) , 1402 & 1403 of Ward no. 2 , Jamshedpur Notified Area Committee under Khata no. 1217.

This piece of land appears in Appendix 'C' of the Indenture of Renewed Lease dated : 20.08.2005

OWNER:	TATA STEEL LIMITED JAMSHEDPUR		
CONSULTANTS:	JUSCO PLANNING ENGINEERING & CONSTRUCTION SAKCHI BOULEVARD ROAD, NORTHERN TOWN, JAMSHEDPUR, JHARKHAND - 831001		
DRAWN:	S.Jaiswal	SCALE: 1 : 100	DATE: 01/07/2016
CHECKED:	A.Balmuchu	SUBJECT: Ground floor plan , First floor plan & Elevation B	
MANAGER (D):	S.Jaiswal		
EIC (D,E&T.P)	J.Singh	DWG. NO.: TPE/17819	2 of 3
GM (EPC)	P.Sinha	REVISION:	

MK.	DATE	DESCRIPTION	DRN.	CHKD.	MGR(D)	CHIEF(Arch.)
REVISION						

DRG. NO.	DESCRIPTION
REFERENCES	

NOTES

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर 831001
(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 417 एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के भवन उपविधि-2016 के तहत स्वीकृत)
विज्ञापन परमिट संख्या 28842 दिनांक 31/2/17

प्लॉट नं-New-1397(Part), 1402 & 1403, खाता नं-1217, Ward No-02(न०-कदम, जमशेदपुर एवं आसपास द्वारा घिरा) स्थित आर्केट के अधीन में Ground Floor में 1 (एक) क्लास + 1st Floor में 3 (तीनक्लास) ग्रुप + 2nd Floor में 9 (नौ) क्लास ग्रुप + 2 अदद इलेक्ट्रिक बूचरिंग, (कॉर्पेट-840 मी. के रकबा भवन भवन संरचना निर्माण हेतु की दी जाती है।

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अथवा भरे गये एवं भवन में की संरचनाएं एवं कार्यों द्वारा दिए गए कार्यालय की जाएगी।
2. संरचना भवन भवन से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/भवित्तल को संशोधन एवं निर्माण क्षेत्र (Builup Area) में वृद्धि नहीं होगी।
3. भवन भवन के बीच बैक एवं साइड में के लिये दिशानिर्देश नहीं पहुंचे जाएं एवं आग पहुंचे 24 मिनट प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखंड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टताओं के अनुसार। निर्माणकार्य एवं सामग्री के सही कार्यान्वयन आदान प्रदानीय सामग्री (Indian Standards) से सम्बन्ध उचित भारत के न हो किसी प्रकार। निर्माण कार्य सावधान के सही कार्यान्वयन एवं इसकी गुणवत्ता का संबंधित सक्षमित अनुमोदिकारी अभियंता के सम्बन्ध-सम निर्माण का होगा।
5. निर्माणकार्य/अनुमोदिकारी अभियंता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना लिखकर पंजिका/पुस्तिका द्वारा निर्माण हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं इस दिनों के अन्दर प्रमाण करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6. निर्माणकार्य को शिक्षा आदिवासी की व्यवस्था के साथ-साथ दुरगमनगमन की व्यवस्था करनी। शिक्षा आदिवासी के वैकल्पिक रूप से पर्याप्त समय बाद सभी को सुचना सीधा अवगत जरूरत होगा।
7. जल उपलब्धता के लिये डीप बोरिंग नहीं करना होगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था होगी। आवश्यक समय का संरचित टैंक व सोक पीट का निर्माण करना होगा।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए अग्नि शमन विभाग के पत्रांक-556 दिनांक-23.11.2016 का अनुसूचीपालन करना होगा।
9. Rain water Harvesting के साथ Ground water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित के करना होगा।
10. भवन निर्माण में 25% फ्लाई एश ईंटों (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
11. मापदिशाओं का निर्माण, संवहनिय पोल की व्यवस्था, पेशेवर का निर्माण तथा वह प्रमाण कार्य अभियंतों सब से भवन-उपविधान के अनुसार किया जायेगा। विद्युत संवहित मानक (Lightning Conductor) की व्यवस्था भवन के छत निर्माण कार्य के साथ होगी। साथ ही भवन एवं चहार, प्लॉट एवं खाता संख्या, निर्माण स्थान पर एक बोर्ड (सूचना पट्ट) लगाना होगा, जिस पर भूमि स्वामित्व का विवरण, भवन मानचित्र का नक्शा एवं चहार, प्लॉट एवं खाता संख्या, स्वयं संवहित भवन भवन का स्वामित्व संख्या मूल संवहित तथा एक संवहित तथा एक आवासीय प्रयोजन। स्वामी/संवहितों से संबंधित करना होगा। इस संवहित भवन भवन की बैठक हीन सर्व तक खोली तथा जनित के आवासीय प्रयोजन। स्वामी/संवहितों से संबंधित करना होगा। इस आदेश में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूरी होने पर Completion Certificate प्राप्त किया Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. कार्यालय की विशिष्ट प्रपत्र में सूचना देनी होगी तथा Occupancy Certificate प्राप्त किया Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
14. आदेश के अतिरिक्त बोर्डवर्ड एवं विशिष्ट संहिता 2016 में वर्णित अन्य प्रकारों कार्यों का पालन करना होगा। भवन निर्माण के दौरान जमशेदपुर आदेश द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे निर्माण का पालन सुनिश्चित है होगा।
15. झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2011 में वर्णित सर्वाधिक सर्वाधिकारों का पूर्णतः पालन करना होगा।
16. भवन भवन की सीढ़ियों के कुपरान्त भूमि पर आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण, स्वामित्व होगा। स्वामित्व न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई स्थितियों भूमि/स्वकारी भूमि/गैरमाजरूबा खाता की भूमि/किसी अन्य की राष्ट्रीय भूमि या किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन भवन रद्द माना जायेगा।
17. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने पर बिहिहार परमिट को रद्द करने अधिकार जमशेदपुर ऑथोरिटी को होगा।

Nkyadhav 22/2/2017
कनीय अभियन्ता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

22.2.17
सहायक अभियन्ता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

22/2/17
विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

परमिट संख्या : 28842
दिनांक : 31/03/2017

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर
प्लॉट संख्या New 1397(Part), 1402 & 1403
खाता संख्या 1217
मौजा Ward No. 2
स्थल जमशेदपुर
लेखिया
मे/सर्स टाटा स्टील लि जमशेदपुर
(Ground Floor + 1st Floor + 2nd Floor)
Height 9.60 m
भवन निर्माण हेतु भवन प्लान पास की दी जाती है।
Nkyadhav 22/2/2017
22.2.17
विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

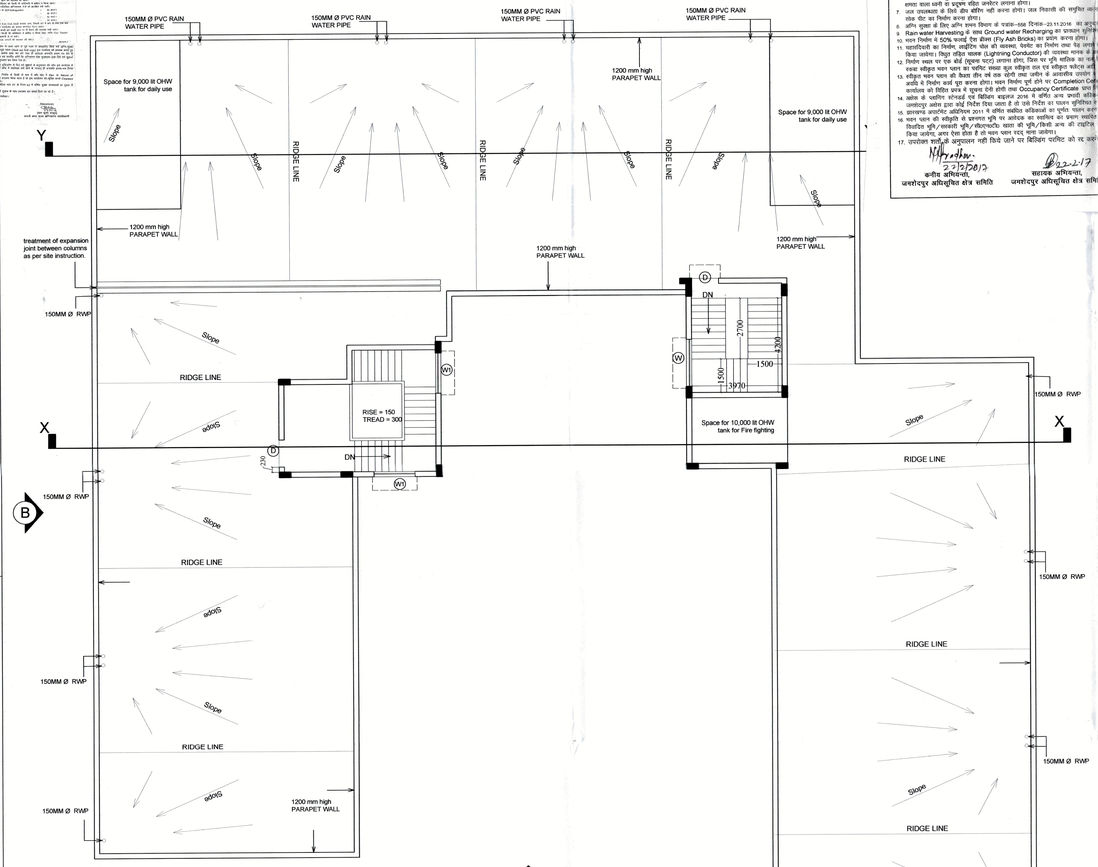

TERRACE PLAN
SCALE 1:100

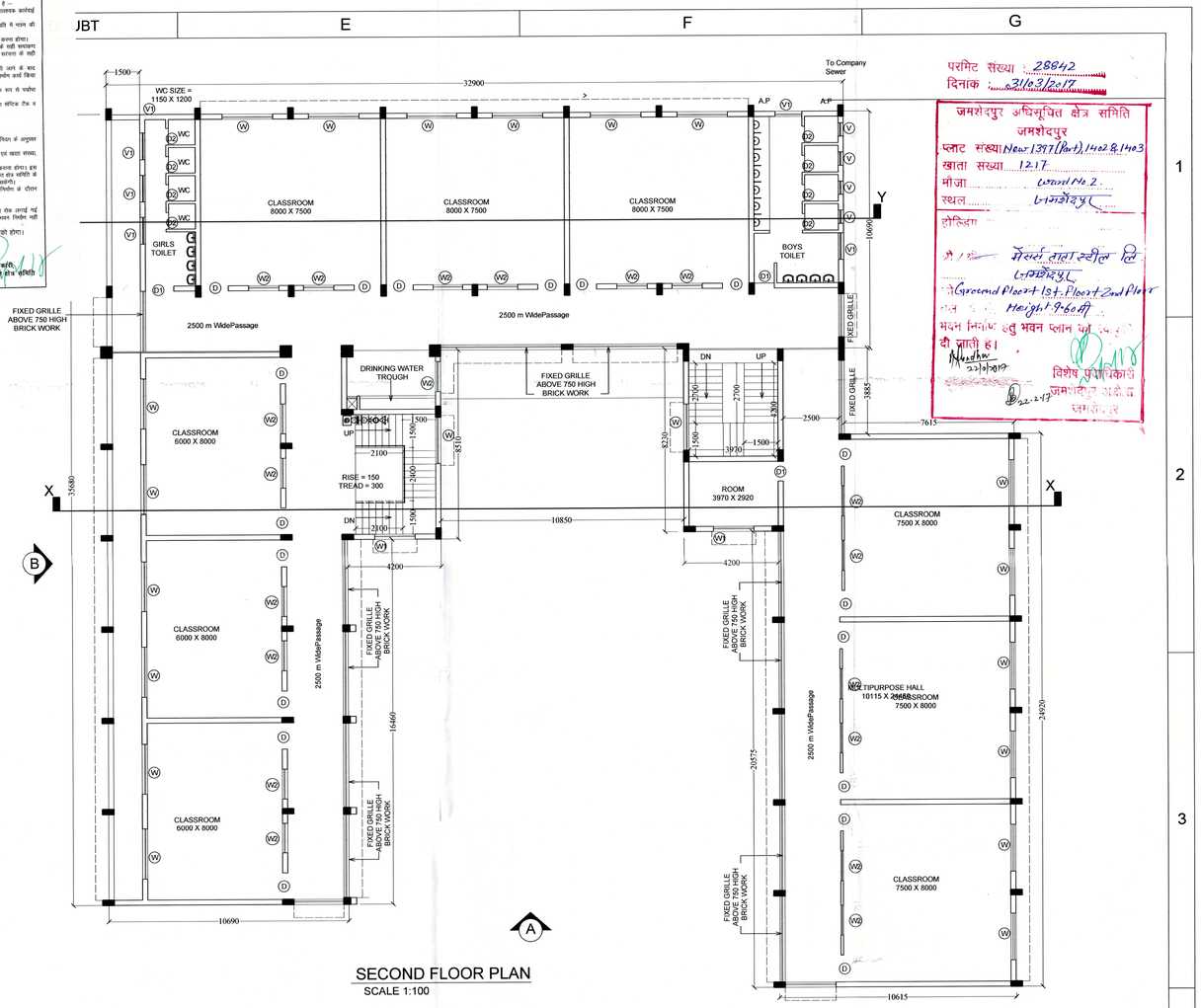

SECOND FLOOR PLAN
SCALE 1:100

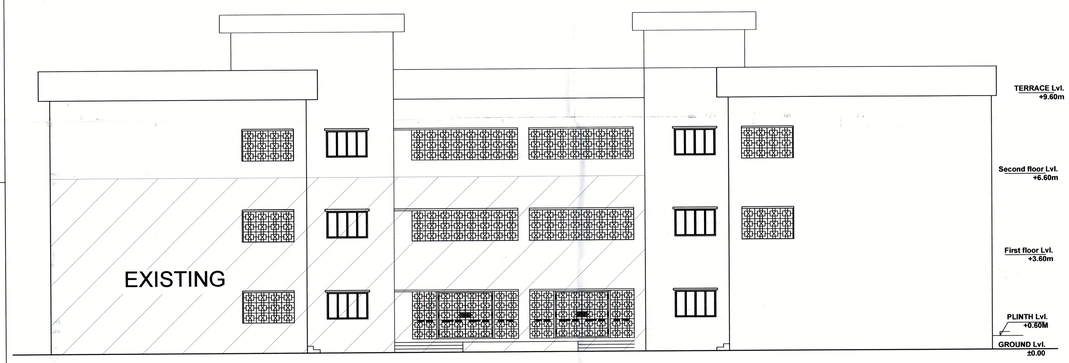

ELEVATION 'A'

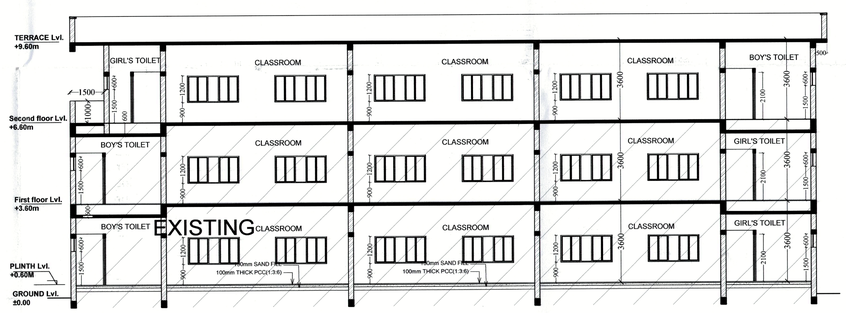

SECTION YY

MK.	DATE	DESCRIPTION	DRN.	CHKD.	MGR(D)	CHIEF(Arch.)

REVISION

DRG. NO.	DESCRIPTION

REFERENCES

NOTES

SIGNATURE OF SPECIAL OFFICER, J.N.A.C.

SIGNATURE OF HEAD, LAND & MARKETS, TATA STEEL
TATA STEEL LIMITED

SIGNATURE OF EIC.(DE & TP)
M/s. JUSCO Ltd.
A TATA Enterprise
License No:- J.N.A.C.
Group Agency-001 (T)/2016

Proposed Primary Block of JUSCO School Kadma ,Kadma on New Plot no. 1397(p) , 1402 & 1403 of Ward no. 2 , Jamshedpur Notified Area Committee under Khata no. 1217.

This piece of land appears in Appendix 'C' of the Indenture of Renewed Lease dated : 20.08.2005

OWNER:	TATA STEEL LIMITED JAMSHEDPUR		
CONSULTANTS:	JUSCO PLANNING ENGINEERING & CONSTRUCTION SAKCHI BOULEVARD ROAD, NORTHERN TOWN, JAMSHEDPUR, JHARKHAND - 831001		
DRAWN:	S.Jaiswal	SCALE: 1 : 100	DATE: 01/07/2016
CHECKED:	A.Balmuchu	SUBJECT: Terrace plan ,Elevation A , Section XX & Section YY	
MANAGER (D):	S.Jaiswal		
EIC (D,E&T.P)	J.Singh	DWG. NO.: TPE/17820	3 of 3
GM (EPC)	P.Sinha	REVISION:	